Hkkjrh; turk ikVh

(केंद्रीय कार्यालय)

11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दूरभाष : 233005700; **फैक्स** : 23005787

दिनांक : 09 मार्च, 2010

लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन पर नेता प्रतिपक्ष (राज्य सभा) श्री अरूण जेटली के भाषण के संक्षिप्त बिंदु

जो लोग सदन में उपस्थित है, उनके लिए यह बहुत बड़े सम्मान की बात है कि वे इतिहास के निर्माण के भागीदार बने हैं। हम सभी भारत के वर्तमान इतिहास के एक सर्वाधिक प्रगतिशील विधान के अधिनियमन का उपकरण बनते हुए ऐतिहासिक दायित्व का निर्वाहन कर रहे हैं।

तर्काधार

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के पीछे जो तर्काधार है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसा भ्रम है कि आरक्षण विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का सृजन करता है। सच्चाई यह है कि प्रकृति ने हम सबको समान रूप में पैदा किया है, संविधान ने भी हमको समानता प्रदान की है, किंतु समाज के कतिपय मतिभ्रंश ने कुछ समानों को असमान बना दिया है।

अतः आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई है, जिसके पीछे आशय यह है कि असमानता के यर्थाथ को समानता की दृष्टि से संवारा जाए। जिनको असमान बना दिया गया है वे आज निर्णय लेने के समान भागीदार बनेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा एक ऐसा आवश्यक उपकरण बन जाता है, जो समानता की प्रक्रिया को धमाकेदार शुरूआत देता है। महिलाओं का समाज में 50 प्रतिशत स्थान है। गत 63 वर्षों में हमने 15 आम चुनाव देखे हैं। किंतु, महिलाओं के वास्तविक चुनाव में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 7 से 11 प्रतिशत की सीमा में बना रहता है। स्वतंत्रता के 63 वर्षों के बाद आज भी 15वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10.7 प्रतिशत है। यह स्वयं इस मिथक को तोड़ देता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में स्थिति में धीरे–धीरे सुधार हो जाएगा, चाहे इस बारे में कुछ भी न किया जाए। सच्चाई यह है कि गत 63 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अगले 63 वर्षों में भी ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है।

बहुसंख्यक पुरूष भी महिलाओं के हित की देखभाल कर सकते हैं ?

सच्चाई यह है कि समाज का 50 प्रतिशत वर्ग 10 प्रतिशत शेयर प्राप्त करता है। हम वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की बात करते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक संख्या में अरबपति हैं। किंतु, हमारे दो–तिहाई बच्चे बिना चिकित्सा सुविधाओं के अपनी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं। माताओं की मृत्यु का अनुपात 1 लाख में से 410 है, जो संसार में सर्वाधिक है। लगभग 88 प्रतिशत गर्भवति महिलाएं खून की

कमी का शिकार रहती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से महिलाओं की संख्या का राष्ट्रीय औसत प्रत्येक 1000 पुरूषों पर 933 महिलाएं हैं। अपुष्ट रिपोर्ट दर्शाती हैं कि प्रति वर्ष 50 लाख भ्रूण हत्याएं कर दी जाती हैं। लैंगिक साक्षरता का अंतराल हमें विश्व में 121वें नम्बर पर रखता है हमारे देश की महिला साक्षरता 76 प्रतिशत पुरूष साक्षरता की तुलना में मात्र 53 प्रतिशत है। लड़कियां लड़कों से दोगुनी संख्या में स्कूल छोड़ देती हैं। यद्यपि गत 10 वर्षों में हमने अपने कुछ वैयक्तिक कानूनों में कुछ प्रगति की है। फिर भी कुछ वैयक्तिक कानून अभी भी प्रतिगामी हैं। वे महिलाओं को समान नहीं मानते हैं। कुछ कानून उन्हें संपत्ति समान अधिकार नहीं देते हैं। दहेज की बुराई अभी भी जारी है। इस संसद में यह कहने का आज भी साहस नहीं है कि वे सभी वैयक्तिक कानून, जो सम्मान और समता के साथ जीने की सांविधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हैं, असांविधानिक हैं तथा उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।

इस तर्क में कोई दम नहीं है कि पुरूष भी महिलाओं के प्रति न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। कम प्रतिनिधित्व और भेदभाव हमारी आंखों के सामने हैं। समय आ गया है कि सबको समान प्रतिनिधित्व मिले। प्रतीकों की राजनीति को अब विचारों की राजनीति में परिवर्तित होना होगा। विचारों की राजनीति को प्रतिनिधित्व की राजनीति द्वारा गति प्रदान करनी होगी। यह वह तर्काधार है, जिस पर मैं इस बिल को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कानून क्या है ?

सांविधानिक संशोधन बेहद सीधा–साधा है। यह 15 वर्ष की अवधि के लिए है। इस 15 वर्ष की मियाद में यदि आम चुनाव समयानुसार होते है, तब लोकसभा सीटों के तीन ब्लॉक होंगे, जो प्रत्येक एक–तिहाई होगा। प्रत्येक ब्लॉक को एक आम चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व मिलेगा। 15 वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र महिला को संसद में भेज चुका होगा। क्योंकि अ.जा. तथा अज.जा. हेतु सीटों के प्रतिनिधित्व के वास्ते सांविधानिक उपबंध है, अतः उन आरक्षित सीटों का एक–तिहाई उन्हीं जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। यह सिद्धांत 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। प्रतिनिधित्व की मात्रा और गुणवत्ता का आंकलन करने के बाद भारतीय विधायिका को यह निर्णय करने का अवसर प्राप्त होगा कि आरक्षण को जारी रखा जाए या समाप्त किया जाए।

पिछला अनुभव

73वें और 74वें संशोधनों ने राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए थे। अनेक राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों तथा पंचायतों में 50 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित की हैं। महिला प्रतिनिधित्व में भी कई गुना विस्तार हुआ है। आज पंचायतों में 43 प्रतिशत निर्वाचित पदों पर महिलाएं आरूढ़ हैं।

अन्य देशों का अनुभव

विश्व के कई अन्य अनेक देशों का अनुभव दर्शाता है कि आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए तीन अलग–अलग प्रणालियों को अपनाया गया है। पहली प्रणाली महिलाओं के वास्ते नीयत निर्वाचित क्षेत्रों की कतिपय संख्या को आरक्षित किया जाना है। यह प्रणाली विश्वभर में सफल रही हैं। आज इस रिजर्वेशन की ताकत पर विश्व के एक निर्धनतम देश रवांडा ने संसद में 48.8 प्रतिशत महिलाएं भेजकर स्वीडन पर बाजी मार ली है। स्वीडन में 47 प्रतिशत, अर्जेंटीना में 40 प्रतिशत, नार्वे में 36 प्रतिशत तथा अफगानिस्तान में 27 प्रतिशत आरक्षण है जबकि, पाकिस्तान में यह आरक्षण 22 प्रतिशत है। निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित रखने की इस प्रणाली के कारण इसको सफलता मिली है।

दूसरी प्रणाली सूची प्रणाली है, जिसमें राजनीतिक दल दलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करते हैं। तीसरी पद्धति राजनीतिक दलों के लिए कोटा का नियत किया जाना है। इन सभी प्रणालियों को अपनाया गया है और वैश्विक पैटर्न भी उपलब्ध है।

राजनीतिक दलों के लिए महिला प्रत्याशियों हेतु प्रतिशतता निर्धारित करना क्यों सफल नहीं है

संविधान के अनुच्छेद 19(4) के तहत विहित सीमा के साथ पठित अनुच्छेद 19(1)(c) जिस रूप में इस समय अधिनियमित है, वह लिंगाधारित कोटा के साथ एसोसिएशन निर्मित करने तथा चलाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई विधान निर्धारित नहीं करता है, जो संविधान की दृष्टि से वैध हो, जो भी प्रतिबंध अनुमत है, वे भारत की संप्रभुता एकता सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिकता के हित में अनुमत है। ऐसी प्रणाली के सफल होने की संभावना नहीं है। यू.के. में ऐसी प्रणाली है। इसमें सुनिश्चित नहीं है कि महिलाओं को उन निर्वाचन क्षेत्रों से खड़ा किया जाए जहां उनके सफल होने की संभावना है। परिणाम यह होता है कि यू.के. की तरह के परिपक्व लोकतंत्र में, जो राजनैतिक दलों में कोटा विहित करता है, हाऊस ऑफ कामंस में प्रतिनिधित्व 19.8 प्रतिशत है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा रवांडा के प्रतिनिधित्व से कम है।

रोटेशन क्यों उचित है

संविधान संशोधन में रोटेशन हेतु उपबंध पर कुछ विवाद है। रोटेशन लिंग–आधारित आरक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। इससे सुनिश्चित होगा कि कि इस संशोधन के जीवन के 15 वर्षों की अवधि में देश का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम एक महिला प्रतिनिधि को संसद में भेजेगा। इससे देशभर में महिलाओं की सक्रियता में क्षैतिज फैलाव होगा। यह स्थानीय स्वशासनों और पंचायतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सक्रियता में भारी वृद्धि करेगा। इस प्रकार, 15 वर्ष के बाद जब आरक्षण समाप्त हो जाएगें और निर्वाचन क्षेत्रों को खुला छोड़ दिया जाएगा तब भारत को राजनीतिक दलों के वास्ते लाखों महिला कार्यकर्ताओं में से छांटने की सुविधा मिलेगी। इसके विपरीत यदि कोई रोटेशन नहीं है तब एक निर्वाचन क्षेत्र ही लंबी समयावधि के लिए आरक्षित रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप उक्त

निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित पुरूषों के विरूद्ध उलट भेदभाव हो जाएगा – उन पुरूषों के विरूद्ध जो काफी लंबी समयावधि के लिए अयोग्य हो जाएंगे। यह तर्क संगत नहीं है कि एक बार चुने गए व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल नहीं करेंगे। कोई भी महिला दूसरी बार चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की आमतौर पर देखभाल करेगी कि उसे अगला चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त है। ऐसे अनेक पुरूष प्रत्याशी होंगे, जो दूसरी बार चुनाव लड़ने की आशा में अपने निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल करने में व्यस्त होंगे।

क्या अन्य जातियों तथा समुदायों हेतु आरक्षण कोटा होना चाहिए

संविधान में केवल अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए जाति आधारित आरक्षणों की व्यवस्था है। जब अन्य समुदायों के लिए कोई आरक्षण नहीं है तब ऐसा कोई कारण नहीं हैं कि उन समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा छांटे गए अधिकांश प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्रों के सामाजिक स्वरूप को बिंबित करेंगे।

गुजरात प्रयोग

गुजरात विधानसभा ने एक विधेयक पास किया है, जिसमें स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था है। विडंबना देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी केन्द्र में उक्त विधेयक का समर्थन कर रही है वही राज्य स्तर पर उसको बाधित कर रही है। विगत 4 मास से गुजरात की राज्यपाल विधेयक को अपनी सम्मति नहीं दे रही हैं। कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपनी प्रबिद्धता की कमी के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

इस सम्मानित सदन के सदस्य आज इस ऐतिहासिक विधान के पारित किए जाने के संन्निकट उपस्थित है। मैं आज की सरकार और भारत में महिलाओं की आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक का सर्वसम्मति से अनुमोदन करें।

(रामकृपाल सिन्हा)
सचिव, भाजपा संसदीय दल